न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रार्थाना पत्र संख्या 43/2020 (RCMS No. 2020/00105) अनवान् सतीश चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री रामनाथ चौधरी पेशा डॉक्टर आयु 64 वर्ष लगभग निवासी चक 24 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर हाल कार्यरत पी 36/8 आई.ए.एम. ऑफिसर्स इन्कलेव, एयरपोर्ट एग्जिट रोड़ विमानपुरा पोस्ट बैंगलोर हाल आबाद फ्लैट नम्बर 2148, शोभा गैरीसन अपॉर्टमैन्ट, टुमकुर रोड़, नागासंदरा, पोस्ट बैंगलोर (कर्नाटक) बनाम 1 पायल अग्रवाल उप तहसीलदार (भू.अ.), जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर **2. शगुन चौधरी पुत्री** सुशील चौधरी जाति जाट निवासी 7/126, मालवीय नगर, जयपुर हाल निवासी ग्राम हसमपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर **3. सुशील चौधरी** पुत्र स्वर्गीय श्री रामनाथ चौधरी जाति जाट निवासी 7/126, मालवीय नगर, जयपुर हाल निवासी ग्राम हसमपुरा वास नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.06.2020

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थिति हुए। अप्रार्थीगण 2 व 3 के नोटिस बाद तामील वापिस नहीं लौटे है। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश हुआ, जो शामिल किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र आज इस आश्य का पेश किया है कि उनके द्वारा नायब तहसीलदार, जैतसर के न्यायालय में लम्बित इंतकाल प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल करवाने के लिए इस न्यायालय में एक मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है और उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सम्बन्ध में उनके द्वारा एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनावाई के उपरान्त भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नायब तहसीलदार, जैतसर यथास्थिति बनाई रखे जाने के लिए उत्तरदायी है और वह कोई भी कार्यवाही करने से स्वतः ही प्रतिबन्धित हो गए है। इसलिए इस मुंतकिल प्रार्थना पत्र को अब आगे चलाये जाने का कोई औचित्य ना होने के कारण प्रार्थी अपने अन्य विधिक अधिकारो को

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

साक्षी रखते हुए उक्त मुंतकिली प्रार्थना को विदड्रा करने की अनुमति चाहता है। अतः विदड्रा करने की अनुमति दी जाये और प्रार्थना पत्र इसी आधार पर दाखिल दफ्तर किया जावे।

मैने वकील प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना और उनके द्वारा प्रस्तुत रिट संख्या 4025/2020 एवं मुंतकिल प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया तो पाया कि **मुंतकिली प्रार्थना** पत्र में अंकित विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट संख्या 4025/2020 प्रस्तुत की जा चुकी है, जो विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों को विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिनांक 27.05.2020 को दिये जा चुके है। इसलिए इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है और अब प्रार्थी के अधिवक्ता भी इस मामले को आगे चलाना नहीं चाहते है इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति उप तहसीलदार, जैतसर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर